

प्रेस-नोट
थाना-कोतवाली, झाँसी

दिनांक – 19.03.2025

10 लाख रुपये रंगदारी की माँग करने तथा हत्या करने की नीयत से नाजायज असलहों से ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले 03 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 02 असलहा व जिन्दा कारतूस आदि बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 19.03.2025 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वाँछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर व एक-एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। थाना कोतवाली पर पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0 83/2025 व धारा 190, 191(2), 191(3), 308(4), 109, 352, 351(3) बीएनएस में समुचित धाराओं का समावेश करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 16.03.2025 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत सूजे खाँ खिड़की बाहर मुहल्ले में एक स्थानीय निवासी के घर पर शातिर अपराधियों द्वारा एक राय होकर गाली गलौज करते हुये 10 लाख रुपये रंगदारी की माँग करने तथा हत्या करने की नीयत से नाजायज असलहों से फायरिंग करने वाले अपराधियों के विरुद्ध थाना कोतवाली पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 83/2025 व धारा 190, 191(2), 191(3), 308(4), 109, 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिसके क्रम में आज दिनांक 19.03.2025 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियोग उपरोक्त में वाँछित अभियुक्तगण 1. अभिषेक कुशवाहा उर्फ गोल्डी उर्फ गोलू पुत्र अतर सिंह कुशवाहा नि0 देवलाल चौबे का अखाडा थाना कोतवाली जनपद झाँसी उम्र 24 वर्ष 2. पंकज अहिरवार पुत्र स्व0 हरप्रसाद अहिरवार उम्र 24 वर्ष नि0 देवलाल चौबे का अखाडा थाना कोतवाली जनपद झाँसी 3. संदीप उर्फ सनी अहिरवार पुत्र स्व0 वासुदेव अहिरवार नि0 मेन रोड हंसारी थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी उम्र 25 वर्ष को समय करीब 03:55 बजे बाबा के आटा तिराहे के पास चौकी क्षेत्र बड़ागाँव गेट, थाना

कोतवाली से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त पंकज अहिरवार व संदीप उर्फ सनी अहिरवार उपरोक्त के कब्जे से एक-एक तमंचा देशी 315 बोर व एक-एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। थाना कोतवाली पर पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0 83/2025 व धारा 190, 191(2), 191(3), 308(4), 109, 352, 351(3) बीएनएस में समुचित धाराओं का समावेश करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अभिषेक कुशवाहा उर्फ गोल्डी उर्फ गोलू पुत्र अतर सिंह कुशवाहा नि0 देवलाल चौबे का अखाडा थाना कोतवाली जनपद झाँसी उम्र 24 वर्ष
2. पंकज अहिरवार पुत्र स्व0 हरप्रसाद अहिरवार उम्र 24 वर्ष नि0 देवलाल चौबे का अखाडा थाना कोतवाली जनपद झाँसी
3. संदीप उर्फ सनी अहिरवार पुत्र स्व0 वासुदेव अहिरवार नि0 मेन रोड हंसारी थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी उम्र 25 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व गिरफ्तारी का स्थान-

- दिनांक 19.03.2025 समय 03.55 AM पर बाबा के आटा तिराहे के पास चौकी बड़ागाँव गेट, थाना क्षेत्र कोतवाली, झाँसी

बरामदगी का विवरण ---

- 02 तमंचा देशी 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस

आपराधिक इतिहास

- A. अभिषेक कुशवाहा उर्फ गोल्डी उर्फ गोलू पुत्र अतर सिंह कुशवाहा नि0 देवलाल चौबे का अखाडा थाना कोतवाली जनपद झाँसी उम्र 24 वर्ष
1. मु0अ0सं0 83/2025 व धारा 190,191(2),191(3),308(4),109,352,351(3) बीएनएस
- B. पंकज अहिरवार पुत्र स्व0 हरप्रसाद अहिरवार उम्र 24 वर्ष नि0 देवलाल चौबे का अखाडा थाना कोतवाली जनपद झाँसी।
1. मु0अ0सं0 83/2025 धारा 190,191(2),191(3),308(4),109,352,351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली झाँसी
 2. मु0अ0सं0 290/20 धारा 188/269/270 भादवि व 51(वी) आपदा प्रबंधन अधि0, 3 महामारी अधि0 थाना नवाबाद झाँसी ।

3. मु0अ0सं0 448/2023 धारा 323/327/336/504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सीपरी बाजार झाँसी ।
 4. मु0अ0सं0 449/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सीपरी बाजार झाँसी ।
- C. संदीप उर्फ सनी अहिरवार पुत्र स्व0 वासुदेव अहिरवार नि0 मेन रोड हंसारी थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी उम्र 25 वर्ष ।
1. मु0अ0सं0 83/2025 व धारा 190,191(2),191(3),308(4),109,352,351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली झाँसी

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. निरी0 श्री राजेश पाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, झाँसी
2. उ0नि0 श्री आशीष धामा चौकी प्रभारी बडागांव गेट थाना कोतवाली ,झाँसी
3. का01442 अनुज कुमार थाना कोतावाली ,झाँसी
4. का0219 विजय कुमार थाना कोतवाली ,झाँसी
5. का0 62 कपिल चाहर थाना कोतवाली ,झाँसी।